संख्या-345/2017/2312/22-2-2016-17(82)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लड्डू गोपाल निवासी जनपद-मथुरा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 6अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति (एम0-17-11-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लड्डू गोपाल, निवासी-ग्राम-राया, थाना-राया, जनपद-मथुरा का रहने वाला है। बन्दी की शादी मीरा से हुयी थी, जो नाटे कद की थी। बन्दी उससे संतुष्ट नहीं था और उससे क्रूरता का व्यवहार करता था। इसी कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनाक 23.09.1985 को किसी समय साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी एवं शव को जंगल में कुंए में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/1987 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 201, 498ए व 404 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 21.04.1988 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रि0 अपील सं0-1066/।988 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.07.1989 को मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.10.2016 तक 28 वर्ष 08 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 55 वर्ष 03 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध कर सकने, तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने एवं शव को जंगल में कुए में फेंकने का जघन्य अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विनोद उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लड्डू गोपाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इस प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल अपील सं0-20749(एम0/बी0) /2013 विनोद उर्फ गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विनोद उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-16623) पुत्र श्री लड्डू गोपाल, निवासी जनपद-मथुरा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-345/2017/2312(1)/22-2-2016 तद्वदिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।